D6/1

न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 14/2014

अपीलांट

1. चूनाराम पुत्र जेताराम
2. गवरी पत्नी जेताराम जाति जाट निवासी जाखड़ो की ढाणी सनावड़ा तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेटस

1. चिमाराम पुत्र केसराराम के कायम मुकाम
   - 1/1 जैसाराम पुत्र चिमाराम
   - 1/2 भोमाराम पुत्र चिमाराम
   - 1/3 मालाराम पुत्र चिमाराम के कायम मुकाम
   - 1/3/1 किशन पुत्र मालाराम
   - 1/3/2 देराज पुत्र मालाराम
   - 1/3/3 पेंपो पत्नी मालाराम
   - 1/4 नानगाराम पुत्र चिमाराम के कायम मुकाम
   - 1/4/1 दूदाराम पुत्र नानगाराम
   - 1/4/2 जोगाराम पुत्र नानगाराम
   - 1/4/3 चतरू बेवा नानगाराम
   - 1/5 पुरो देवी पत्नी चिमाराम
2. गोमाराम पुत्र केसराराम के कायम मुकाम
   - 2/1 मूलाराम पुत्र गोमाराम
   - 2/2 पदमाराम पुत्र गोमाराम
3. रामाराम पुत्र मगाराम
4. पूर्णाराम पुत्र मगाराम
5. लाछी पत्नी मगाराम
   जाति जाट निवासी फूसाणियो का तला– जाखड़ो की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर
6. तहसीलदार बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 04.10.2001 द्वारा तहसीलदार बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

उपस्थित– 1. श्री डूँगरसिंह महेचा अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से।
2. श्री डालूराम गोदाराम अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 03 से 05 की ओर से।
3. श्री रोहनलाल दवे राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 06 की ओर से।

निर्णय दिनांक 11.04.2018

1. संक्षेप में अपीलांटस की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटस व रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 05 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 80 रकबा 0.17 बीघा एवं खसरा नंबर 81 रकबा 233.09 बीघा कुल 234.06 बीघा मौजा फुसाणियो का तला पटवार मण्डल सनावड़ा तहसील बाड़मेर में आई हुई है। पक्षकारान खातेदारान आपसी सहमति से मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार विभाजन कर काश्त करते आ रहे है। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 05 ने अपनी उक्त पैतृक खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष आवेदन पत्र मय प्रस्ताव पेश किया। जिस पर तहसीलदार बाड़मेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.10.2001 द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति का प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांटस ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांटस ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया।
2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 05 ने दिनांक 11.04.2018 को राजीनामा पेश कर पक्षकारान के मध्य विवादग्रस्त विभाजन के संबंध में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा होना बताते हुए, माफिक राजीनामा अपीलांटस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते है एवं राजीनामा के साथ नजरी नक्शा परिशिष्ट ''अ' 'अनुसार पुनः मौके पर पक्षकारान के विवादित आराजी के नक्शा में तरमीम अनुसार सहमत होते हुए राजीनामा अनुसार अपील निस्तारित करने का निवेदन किया।
3. हमने दोनो पक्षों को सुना। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख एवं राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

76/3

विभाजन आदेश दिनांक 04.10.2001 के विरूद्व पेश की है। मौजा फुसाणियो की तला के खसरा नंबर 80 रकबा 0.17 बीघा एवं खसरा नंबर 81 रकबा 233.09 बीघा कुल 234.06 बीघा भूमि अपीलांटस व रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 05 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 से 05 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। विभाजन के नक्शा में अंकित कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के भौतिक कब्जे काश्त के अनुसार नहीं है। पक्षकारान द्वारा अपील में अंकित तथ्यों एवं प्रस्तुत राजीनामा को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त है, उसी अनुसार पक्षकारान ने मौके पर कब्जा काश्त व नक्शा अनुसार बंटवाड़ा करने एवं तरमीम दुरस्ती करने की सहमति प्रकट की है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व मौके की स्थिति की सही जांच नहीं की, जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट ने अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किये जाने योग्य है, जो स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद सुमार की जाती है।

4. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.10.2001 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार बाड़मेर को निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मध्य माफिक राजीनामा एवं नक्शा अनुसार पुनः विधिवत आदेश पारित करे।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

निर्णय आज दिनांक 11.04.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
(ए.डी.एम.)